संख्या-755/2026/1869/26-27-सिं0-4-CN-1918429

प्रेषक

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ:: दिनांक 29-09-2026**

विषय: रबी 1434 फसली (वर्ष 2026-27) में शारदा सहायक पोषक नहर से निकलने वाली नहर प्रणालियों का अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु नहर बंदी की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं मूल्यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-253/सिनिक-19/नहर बन्दी, दिनांक 16.09.2026 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शारदा सहायक पोषक नहर में आवश्यक अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु **रबी 1434 फसली (वर्ष 2026-27) में दिनांक 11.10.2026 से दिनांक 07.11.2026** तक नहर बन्दी की अनुमति इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त अवधि में नहर का अनुरक्षण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जायेगा।

2- उक्त नहर बन्दी के संबंध में उपलब्ध संचार /समाचार माध्यमों से स्थानीय कृषकों की जानकारी हेतु समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुए उक्त से क्षेत्रीय मा० सांसदगण, मा० विधायकगण एवं अन्य मा० जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाये ।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी., उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
5. मण्डलायुक्त, लखनऊ/ प्रयागराज/ अयोध्या/ आजमगढ़/ वाराणसी मण्डल, उ०प्र०।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सीतापुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अमेठी एवं जौनपुर।
7. प्रमुख अभियन्ता (परि०/नियो०) सिचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
8. निर्देशक, कृषि विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
9. गन्ना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को उनके पत्र सं0-2317/शा०सहा०(अनु०प्रको०)/नहर बन्दी, दिनांक 15.09.2026 के सन्दर्भ में।
12. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादशम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ।
13. गार्ड फाईल ।

भवदीय,

रमेश चन्द्र

अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in